न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

/2018 पुनराविलोकन

I/पुनर्विलोकन/दमोह/भू.रा/2018/1379

1. सुधाकर पाठक पुत्र श्रीयुत श्रीनाथराव पाठक
2. डॉ पदमाकर राव पाठक पुत्र श्रीनाथराव पाठक दोनो निवासीगण, श्री कृष्ण मंदिर, सिविल वार्ड क्रमांक-8 तहसील व जिला दमोह म.प्र. (मुहत्तिम श्री देव मुरलीधर जी मंदिर दमोह) म.प्र. ---- प्रार्थीगण

विरूद्ध

पवन पाठक पुत्र स्व. मनोहर राव पाठक मुहत्तिम श्री देव मुरलीधर मंदिर, दमोह तहसील व जिला दमोह मध्यप्रदेश ---------------------- प्रतिप्रार्थी

पुनराविलोकन आवेदन-पत्र विरूद्ध आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (पीठासीन माननीय श्री एम. गोपाल रेड्डी प्रशासकीय सदस्य) दिनांक 16.01.2018 अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 प्रकरण क्र.1440 एक/17 निगरानी

श्री ...... द्वारा आज दि. 24/2/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6/3/18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

श्रीमान,

पुनराविलोकन आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। :-

1. यह कि इस माननीय न्यायालय का विवादित आदेश कानूनन सही नहीं है।
2. यह कि विवादित आदेश अभिलेख की प्रत्यक्ष भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है।
3. यह कि प्रकरण SDO महोदय के आदेश जिसके विरूद्ध उपरोक्त निगरानी प्रार्थना-पत्र इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था के श्रवणाधिकार एवम् क्षेत्राधिकार को चुनौती दी जाकर अधिकारिता सम्बन्धी वैधानिक आपत्ति स्पष्ट रूप से की गई है तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्को मे इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/पुर्नावलोकन/दमोह/भू.रा./2018/1379

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी-1440-एक/17 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। संहिता की धारा किसी भी मामले का पुनरावलोकन किए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा-51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किया गया है। जिसके अनुसार किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण। पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार दिए गए हैं उनका निराकरण मेरे द्वारा कारण दर्शाते हुए पूर्व में ही किया जा चुका है। आलोच्य आदेश में मेरे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण में जो आदेश होगा वह उभयपक्षों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों पर भी बंधनकारी होगा। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	